न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा, जिला–चित्तौडगढ (राज0)

प्रकरण संख्या– 18/2021 प्रार्थना पत्र   निर्णय दिनांक–14.06.2021

श्री ऊंकार पिता रोडा जाति मेघवाल आयु 85 साल निवासी कच्ची बस्ती निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

– प्रार्थी

बनाम

श्री शम्भुनाथ पिता हीरानाथ जाति नाथ आयु वयस्क निवासी डाक बंगला के पास निम्बाहेड़ा तह0 निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज0।

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0 रे0 एक्ट

आदेश

संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी की खातेदारी की आराजियात वाके मौजा जावदा प0ह0 जावदा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 24 की आराजी नं0 373 रकबा 0.9500 हैक्टेयर भूमि स्थित है। जिस पर को कोई स्पष्ट सीमा चिन्ह नहीं है जिसके कारण प्रार्थी व विपक्षी के बीच सीमा चिन्ह को लेकर विवाद होता रहता है। अतः प्रार्थी की भूमि की पत्थरगढ़ी कराई जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी बाबजूद तामिल एवं सूचना के अनुपस्थित होने से वकील प्रार्थी की एकतरफा बहस सुनी गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/–रू फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि आराजियात वाके मौजा जावदा प0ह0 जावदा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 24 की आराजी नं0 373 रकबा 0.9500 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर नियमानुसार पत्थरगढ़ी करें। फीस कमिश्नर प्रार्थी से वसूल की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आज दिनांक 14.06.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(चन्द्रशेखर भण्डारी)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official